ायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक 222/25

दिनांक 3.10.25

— :: निर्णय :: —

प्रार्थी श्री घसीटी बाई पुत्र/पुत्री/पत्नि मथुरा w/o सीताराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कुंलीजरा पटवार मण्डल फलिया तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 13 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति धींसीबाई पुत्री मथुरा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से घसीटी बाई अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी फलिया से करवाने पर पटवारी ने धींसी बाई के बजाय घसीटी बाई करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में धींसी बाई के बजाय घसीटी बाई करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम कुंलीजरा के खाता संख्या 13 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति धींसी बाई के स्थान पर सम्मानजनक रूप से घसीटी बाई दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)